बिन्दु 1

संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 1985 उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (संशोधन अधिनियम),1998 के अनुसार स्थापित हुआ था।

I <u>विश्वविद्यालय के उद्देश्यः</u>

(1) अध्ययन की विभिन्न शाखाओं, विशेष रूप से कृषि, उद्यान विज्ञान पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशु पालन, गृह विज्ञान, ग्राम–उद्योग एवं कृषि व्यवसाय, मत्स्य पालन, वानिकी प्रौद्योगिकी और शिक्षण एवं विद्वता की अन्य संबद्ध शाखाओं में शिक्षा प्रदान करने के लिए व्यवस्था करना।

(2) विदूततर की उन्नति को आगे बढ़ाना और विशेष रूप से कृषि एंव अन्य संबद्ध विज्ञानों में अनुसंधान का संचालन करना।

(3) विशेष रूप से राज्य के ग्रामीण लोगों के लिए इस प्रकार विज्ञानों/ प्रौद्योगिकियों की प्रसार शिक्षा का उत्तरदायित्व लेना, और

(4) इस प्रकार के अन्य प्रयोजन, जैसा कि विश्वविद्यालय समय–समय पर निर्धारित कर सकता है।

II <u>अधिनियम के अंतर्गत विश्वविद्यालय के कार्य–</u>

विश्वविद्यालय निम्नलिखित कार्य रखता हैः

(1) मोटे तौर पर निश्चित के अनुसान कृषि और शिक्षा की अन्य संबद्ध शाखाओं में पूर्व स्नातक एवं स्नातकोत्तर शिक्षण की व्यवस्था करना जैसा कि विश्व विद्यालय उचित समझ सकता है।

(2) कृषि और शिक्षा की संबद्ध शाखाओं में अनुसंधान के संचालन की व्यवस्थ करना।

(3) प्रसार शिक्षा एवं सेवा कार्यक्रम के माध्यम से अनुसंधान की उपलब्धियों और तकनीकी सूचना के प्रसार की व्यवस्था करना।

(4) अध्ययन के पाठ्यक्रमों को प्रारंम्भ करना करना और उनके लिए परीक्षाओं का आयोजन करना तथा ऐसे व्यक्तियों को डिग्री, उपाधि पत्र एवं अन्य शैक्षिक विशेष योग्यता (सम्मान) प्रदान करना, जो इस प्रयोजना के लिए किसी अन्य विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त संस्थाओं में पूरा किए गए या आंशिक पाटयक्रमों एवं/या अनुसंधान सहित या विश्वविद्यालय में अध्ययन/या अनुसंधान या दोनों के निर्धारित पाठयक्रम में लगे रहते है।

(5) यथा निर्धारित सम्मानार्थ उपाधि एंव अन्य सम्मान प्रदान करना।

(6) विश्वविद्यालय के नियमित छात्रों के रूप में नांमाकित क्षेत्र–कार्यकर्ताओं, ग्राम प्रमुखों एवं अन्य व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था करना।

(7) इस अधिनियम की धारा 4 में घोषित सीमाओं के अधीन इस प्रकार के प्रयोजन के लिए और इस तरह के अन्य विश्वविद्यालय एवं संस्थाओं के साथ सहयोग करना जैसा कि विश्वविद्यालय निर्धारित कर सकता हैं।

(8) कृषि, मत्स्य पालन, डेरी उद्योग, पशुचिकित्सा विज्ञान, पशुपालन गृहविज्ञान, प्रौद्योगिकी, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, वानिकी एवं संबद्ध विज्ञान से संबंधित महाविद्यालयों, विद्यालयों, केन्द्रों, प्रमाणों/संस्थाओं को स्थापित करना और उन्हें बनाएं रखना।

(9) शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा के लिए प्रयोगशालाओं पुस्तकालयों, अनुसंधान केन्द्रों एवं संस्थाओं और संग्राहलयों को स्थापित करना और बनाए रखना।

(10) शिक्षण, अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा के पदों को सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना।

(11) प्रशासनिक एवं अन्य पदों को सृजित करना और ऐसे पदों पर व्यक्तियों की नियुक्ति करना।

(12) परिनियमों के अनुसार अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, वृत्तिकाएं (वजीफा) एवं पुरस्कार प्रारंभ करना और प्रदान करना।

(13) विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं और कर्मचारी वर्ग के लिए आवासीय स्थानों की व्यवस्था करना और बनाए रखना।

(14) इस प्रकार के यथानिर्धारित शुल्क एवं अन्य खर्च नियत करने की अपेक्षा करना और प्राप्त करना।

(15) विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं के आवास, आचरण एंव अनुश्याासन की देख–रेख करना और नियंत्रित करना और उनके स्वास्थ्य एवं कल्याण को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्थाएं करना।

(16) इस प्रकार के सभी कार्यों एवं बातों को करना चाहे वे पूर्ववती अधिकारों के लिए प्रासंगिक हो या नहीं, जैसा कि विश्वविद्यलय के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए अपेक्षित हो सकता है।

III <u>विश्वविद्यालय के प्राधिकारी</u>

विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित होंगेः

(i) प्रबंध परिषद

(ii) शैक्षिक परिषद

(iii) स्नातकोत्तर अध्ययन सहित संकाय और उनकी पाठ समिति

(iv) अनुसंधान परिषद्

(v) प्रसार शिक्षा परिषद्

(vi) वित्त समिति

(vii) विश्वविद्यालय के अन्य इस प्रकार की समितियॉ जैसा कि विश्व विद्यालय के परिनियमों द्वारा घोषित किया जा सकता है।

(क) <u>प्रबंध परिषद् और इसका संघठन</u>

(1) प्रथम कुलपति की नियुक्ति हो जाने कि बाद ज्यों ही यह हो सकती है, कुलाधिपति प्रबंध परिषद् की नियुक्ति करेगा।

(2) प्रबंध परिषद् निम्नलिखित से बनेगीः

(i) कुलपति

(ii) सचिव कृषि विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

(iii) सचिव वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

(iv) सचिव शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड सरकार

(v) निदेशक, कृषि उत्तराखण्ड

(vi) निदेशक, पशुपालन, उत्तराखण्ड

(vii) निदेशक, उद्यान विज्ञान, उत्तराखण्ड

(viii) राज्य विधान सभा के दो सदस्य जो उक्त विधान सभा द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

(ix) दो प्रतिष्ठित शिक्षाशास्त्री/ वैज्ञानिक जो कृषि एवं पशुचिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र से प्रत्येक से एक–एक राज्य सरकार द्वारा नामिंत किए जाते हैं।

(x) विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र से एक प्रगतिशील कृषक जो राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं।

(xi) एक विशिष्ट कृषि व्यवसायी जो राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाता है।

(xii) ग्राम प्रगति की पृष्ठ भूमि रखने वाली एक उत्कृष्ट महिला समाजिक कार्यकर्ता, जो राज्य सरकार द्वारा नामित की जाती है।

(xiii) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् से एक प्रतिनिधि

(xiv) वित्त नियंत्रक

(3) कुलपति परिषद् का पदेन अध्यक्ष और वित्त नियंत्रक परिषद् का सदस्येतर सचिव होंगे।

(4) पदेन सदस्यों को छोड़कर परिषद् के अन्य सदस्यों की अवधि दो वर्ष होगी।

(5) अवधि की समाप्ति को छोड़कर मृत्यु, त्यागपत्र या किसी हेतु के कारण जब किसी सदस्य के पद की रिक्ति हो जाती है तो रिक्ति इस धारा के प्रवधंनों के अनुसार भरी जाएगी और इस रिक्ति की पूर्ति करने वाला व्यक्ति उस

अवधि के शेष समय के लिए पद धाराण करेगा जिसके लिए वह व्यक्ति जिस व्यक्ति का स्थान भरता है। सदस्य होगा।

(6) परिषद् के गठन में केवल कोई रिक्ति या दोष होने के आधार पर परिषद् की कार्रवाई या कार्यवाही अवैध नहीं होगीं।

(7) परिषद् की बैठक में एक–तिहाई सदस्यों का कोरम बनाऐं। बशर्ते की यदि बैठक कोरम के अभाव के कारण स्थापित हो जाती है, तो इसी कार्य के सम्पादन के लिए बुलाई गई आगामी बैठक पर कोरम आवश्यक नहीं होगा।

(8) विश्वविद्यालय के अधिकारियों से मित्र परिषद् के सदस्य इस अधिनियम के अंतर्गत यथा निर्धारित दैनिक एवं यात्रा भत्तों को छोड़कर अपने कार्यो के निष्पादन के लिए किसी पारिश्रमिक के लिए अधिकृत नहीं होगें।

(9) इस धारा की उपधारा (2) के खंड (**vii)** से (**xii)** के अंतर्गत विश्वविद्यालय का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी परिषद् का सदस्य होने का पात्र नहीं होगा।

(10) परिषद् परामर्श के प्रयोजन के लिए अपनी बैठक में उपस्थित होने के लिए विचाराधीन किसी विषय पर अनुमान या विशेष जानकारी रखने वाली किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकती है। ऐसा व्यक्ति बोल सकता है या ऐसी बैठक की कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले सकता है। परंतु मत देने का अधिकारी नहीं होगा। इस प्रकार आमंत्रित कोई व्यक्ति यथा निर्धारित बैठक में उपस्थित होने के लिए इस प्रकार भत्तों का अधिकारी होगा।

(11) सामान्यतः प्रत्येक तीन महीनों में एक बार कुलपति द्वारा नियत की गई तिथियों पर परिषद् की बैठक होगी। फिर भी, कुलपति, जब कभी उपयुक्त समझ सकता है और परिषद् के कम–से–कम पॉच सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित मांग पर परिषद की विशेष बैठक बुला सकता है और बुलाएगा।

परिषद के कार्य

(1) अधिनियम एवं संविधियों को प्रवाधानों के अंतर्गत परिषद् विश्वविद्यालय की कार्यकारिणीं समिति होगी और विश्वविद्यालय संपत्तियों एवं क्रियालापों का प्रबंधन एवं पर्यावेक्षण करेगी और विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक कार्यो के लिए उत्तरदायी होगी यदि इस अधिनियम में अन्यथा प्रावधान न हों।

(2) पूर्वोलिखित अधिकारों की सामान्य बात के पूर्वाग्रह के बिना परिषद् निम्नलिखित अधिकारों एवं कार्यों का प्रयोग एवं निष्पादन करेगीः

(i) विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं आंकलनों एवं बजट पर विचार करके उसे अनुमोदित करना,

(ii) विश्वविद्यालय की संपत्ति एवं तिथियों का अधिकारी होना एंव नियंत्रित करना और विश्वविद्यालय की ओर से कोई सामान्य निर्देश जारी करना।

(iii) विश्वविद्यालय की ओर से किसी संपत्ति को स्वीकार करना या हस्तांतरित करना।

(iv) अभीष्ट प्रयोजन के लिए विश्वविद्यालय के अधिकार में रखी हुई निधियों का संचालन करना,

(v) विश्वविद्यालय की निधि के निवेश एवं वापसी की व्यवस्था करना,

(vi) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ पूंजी निवेशों के लिए धन उधार लेना और इसकी अदायगी के लिए उपयुक्त प्रबंध करना,

(vii) विश्वविद्यालय की ओर से व्यासों, वसीयतों एवं दान को स्वीकार करना,

(viii) विद्वत, अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा परिषदों की संस्तुतियों जहां अपेक्षित हो, पर विचार करके अनुमोदित करना;

(ix) विश्वविद्यालय की सामान्य सील (मोहर) के रूप एवं उपयोग का पथ प्रदर्शन करना,

(x) इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के अनुरूप इस प्रकार की समितियां एवं निकाय, यदि आवश्यक समझे, की नियुक्ति करना और उनके विचारार्थ विषयों को लिपिबद्ध करना,

(xi) विद्वत परिषद् की संस्तुति पर नए विभाग, प्रभाग, केन्द्र या अनुसंधान केन्द्र /उपकेन्द्र की स्थापना या उनमें से किसी के समापन या विभाग/प्रभागों, अनुसंधानों स्थलों या केन्द्रों का अन्य प्रकार के पुनर्गठन पर विचार करके अनुमोदित करना,

(xii) विद्वत परिषद् की संस्तुति पर नए महाविद्यालय की स्थापना, दो महाविद्यालयों या संकायों का एक महाविद्यालय या संकाय में समामेलन या महाविद्यालय संकाय का समापन, विद्यमान संकायों में से किसी एक का पुनर्गठन पर विचार कर के अनुमोदित करना।

(xiii) प्रयोजन के लिए और निर्धरित ढ़ग से चयन समिति की संस्तुति के अनुसार विश्वविद्यालय के अधिकारियों, और सहायक प्राध्यापक या ऊपर के शिक्षकों, कर्मचारियों की संस्तुतियों को अनुमोदित करना।

(3) धारा 8 के अधिकारों के सामान्य कथन के प्रति पूर्वाग्रह के बिना यदि कुलपति का विचार है कि प्रबंध परिषद् अपने कार्यो को पूरा करने में

असफल रहा है। या अपने अधिकारों का दुरूपयोग किया है। तो वह लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने का एक अवसर देने के बाद प्रबंध परिषद् पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दे सकता है और कुलपति एवं संख्या में दस से अधिक नहीं, इस प्रकार के अन्य व्यक्तियों से मुक्त तदर्थ प्रबंध परिषद् का गठन कर सकता है। कुलाधिपति इस अधिनियम के अंतर्गत उस प्रयोजन के लिए अधिक्रमित प्रबंध परिषद् के किसी सदस्य सहित ऐसी दो वर्ष से अधिक नहीं, जैसा कि कुलाधिपति समय–समय पर निर्दिष्ट कर सकता है, के लिए नियुक्त कर सकता है, जो प्रबंध परिषद् के सभी अधिकारों का प्रयोग एवं कार्य का निष्पादन करेगा।

(ख) <u>विद्वत् परिषद</u>

(1) विद्वत् परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगेः

(i) कुलपति (अध्यक्ष)

(ii) विभिन्न संकायों के अधिष्ठाता

(iii) अनुसंधान और प्रसार शिक्षा के निदेशक

(iv) पुस्तकालयाध्यक्ष

(v) अधिष्ठाता, छात्र कल्याण

(vi) प्रत्येक संकाय से विभाग के सभी अध्यक्ष

(vii) अनुसंधान एवं प्रसार का एक सहनिदेशक जो चक्रीय आधार पर कुलपति द्वारा नामित किया जाता है।

(viii) महाविद्यालयों के सभी सह अधिष्ठाता/ प्रधानाचार्य

(ix) प्रत्येक संकाय से एक शिक्षक जो चक्रीय आधार पर और निर्धारित ढंग से, कुलपति द्वारा नामित होता है।

(x) विश्वविद्यालय के बाहर से एक श्रेष्ट कृषि शिक्षाशास्त्री जो कुलपति द्वारा नामित होता है।

(xi) वित्तनियंत्रक

(xii) कुल सचिव (सदस्य सचिव)

(2) विद्वत परिषद् ऐसी अवधि के लिए और ऐसे ढंग से, जैसा निर्धारित किया जाए, चार से अधिक नहीं सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है। जिससे कि कृषि एवं सबंद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्र का पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सके।

(3) उपधारा (20) में उल्लिखित सदस्यों और पदेन सदस्यों से मित्र विद्वत परिषद् के सभी सदस्य दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगें।

(4) विद्वत परिषद् के सदस्यों का एक–तिहाई परिषद् की बैठक में कोरम बनाएंगें। बशर्ते कि यदि कोरम के अभाव में परिषद् की बैठक स्थागित हो चुका लेती है तो उस कार्य के सम्पादन के लिए आगामी बैटक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगा।

(5) सामान्यतः विद्वत परिषद् की बैठक प्रत्येक चार माह में एक बार कुलपति द्वारा नियत तिथियों पर बुलाई जाएगी।

तथपि, विद्वत परिषद् की विशेष बैठक कुलपति द्वारा या परिषद् के एक–तिहाई सदस्यों की प्रार्थना पर बुलाई जा सकती है।

<u>विद्वत् परिषद के कार्य</u>

(1) विद्वत् परिषद् इस अधिनियम एवं परिनियमों के प्रावधानों के आधीन विनियमों द्वारा अध्ययन के सभी पाठ्यक्रमों को निर्धारित करने और पाठ्यचर्या नियत करने का अधिकार रखेगी और विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षण एवं शैक्षिक कार्यक्रमों पर सामान्य नियंत्रण रखेगी, और उनके मानदडों को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगी।

(2) यह इस अधिनियम एवं परिनियमों के संगत सभी शैक्षिक विषयों को नियंत्रित करने के अधीन इस से संबंधित विनियम बनाने और इस प्रकार के विनियमों को संशोधित करने या अस्वीकार करने का अधिकार रखेगी।

(3) विशेष रूप से और पूर्वोलिखित अधिकार के सामान्य कथन के लिए पूर्वाग्रह के बिना विद्वत परिषद् निम्नलिखित अधिकार रखेगीः

(i) पुस्तकालयों के नियंत्रण एवं प्रबंध सहित शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर प्रबंध परिषद् एवं कुलपति को परामर्श देना,

(ii) प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, सहायक प्राध्यापक और अनुसंधान एवं प्रसार शिक्षा में पदों सहित अन्य शिक्षण पदो और उनके कर्तव्यों के संबंध में संस्तुतियां करना,

(iii) शिक्षण के विभागों/संकायों, अनुसंधान केन्द्रों और प्रसार शिक्षा के गठन / पुनर्गठन के लिए संस्तुतियों करना,

(iv) विश्वविद्यालय के छात्र–छात्राओं के प्रवेश से संबंधित विनियमों को बनाना और प्रवेश लिए जाने वाले छात्र–छात्राओं की संख्या नियत करना।

(v) डिग्रियों, डिप्लोमाओं एवं प्रमाण पत्रों को प्रारम्भ करने के लिए पाठ्यक्रमों से संबंधित विनियम बनाना।

(vi) परीक्षाओं को संचालन करने से संबंधित विनियम बनाना और शिक्षा के स्तरों को बनाए रखना एवं उनमें सुधार करना।

(vii) सम्मानार्थ डिग्री के प्रदान करने के संबंध में परिषद् के लिए संस्तुतियों करना।

(viii) विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लिए निर्धारित की जाने वाली योग्यताओं के संबंध में संस्तुतियां करना।

(ix) ऐसे अन्य अधिकारों का प्रयोग करना और एसे अन्य कार्य करना जैस इसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रबंध परिषद् या कुलपति द्वारा प्रदान या आरोपित किए जा सकते है।

(ग) **अनुसंधान परिषद्**

(1) **अनुसंधान परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगेः**

(i) कुलपति अध्यक्ष

(ii) कृषि/उद्यान/पशुपालन/मत्स्य पालन का निदेशक और महावन संरक्षक (विश्वविद्यालय के अनुसंधान अध्यादेश एवं कार्यक्रम पर निर्भर)

(iii) सभी संकायों के अधिष्ठाता

(iv) विश्वविद्यालय के सभी निदेशक

(v) महाविद्यालयों के सभी सह अधिष्ठाता/प्रधानाचार्य

(vi) अनुसंधान एवं प्रसार के सभी सहनिदेशक

(vii) सभी विभागों, केन्द्रों एवं कार्यालयों के अध्यक्ष

(viii) बैठक की कार्यसूची पर अपने विशिष्ट ज्ञान के लिए कुलपति द्वारा विशेष बैठक के लिए नामित किए गए बाहर से दो श्रेष्ठ वैज्ञानिक

(ix) अनुसंधान परिषद् ऐसी अवधि के लिए और ऐसे ढंग से जैसा निर्धारित किया जाए, चार से अधिक नहीं, सदस्यों के रूप में सहयोजित कर सकती है जिससे कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के विभिन्न क्षेत्र को पार्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त किया जा सके।

(2) **निर्देशक अनुसंधान सदस्य सचिव होगा।**

अनुसंधान परिषद् का कार्य

(1) अनुसंधान परिषद् निम्नलिखित के संबंध में विचार करके संस्तुतियां करेगी:

(i) प्रभावी समन्वय को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन और संबद्ध विज्ञानों के क्षेत्र में विभिनन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रारंभ किए गए या प्रारंभ किए जाने वाले अनुसंधान कार्यक्रम एवं परियोजनाएं।

(ii) अनुसंधान परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए अवश्यक भैतिक वित्तीय एवं प्रशासनिक सुविधाएं ,

(iii) किसानों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूल अनुसंधान करना,

(iv) अनुसंधान प्रसार शिक्षा एवं शिक्षण का एकीकरण और शिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम में अनुसंधान कार्यकर्ताओं की हिस्सेदारी।

(v) अनुसंधान कार्यक्रमों से संबंधित कोई अन्य विषय जिस कुलपति या प्रबंध परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी अन्य अधिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(घ) प्रसार शिक्षा परिषद्

(1) प्रसार शिक्षा परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे:

(i) कुलपति (अध्यक्ष)

(ii) सचिव, कृषि

(iii) कृषि/उद्यान/पशुपालन/मत्स्य पालन के निदेशक और महावन संरक्षक (विश्वविद्यलय के अनुसंधान अधिदेश एवं कार्यक्रम पर निर्भर)

(iv) सभी संकायों के अधिष्ठता

(v) विश्वविद्यालय के सभी निदेशक

(vi) सभी विभागों/क्षेत्रीय अनुसंधान केंन्द्र/महाविद्यालय/केंन्द्र के अध्यक्ष

(vii) कार्यसूची की आवश्यकता के अनुसंधान के अनुसार किसी विशेष बैठक के लिए कुलपति के द्वारा नामित बाहर से प्रसार शिक्षा के क्षेत्र में दो श्रेष्ठ व्यक्ति।

(viii) विशेष ज्ञान एवं अनुभव के लिए कुलपति द्वारा नामित सामान्य कृषि, उद्यान पशुपालन एवं अन्य संबद्ध शाखाओं मे विशेष ज्ञान रखने वाले तीन प्रगतिशील किसान।

(ix) कुलपति की परामर्श के अनुसार निम्न लिखित संगठनों में से प्रत्येक का एक प्रतिनिधि

(क) ग्राम विकास विभाग

(ख) सहकारिता विभाग

(ग) उत्तरांचल राज्य कृषि–उद्योग विकास निगम

(घ) सिंचाई विभाग

(ड़) भारतीय उर्वरक निगम

(च) बीज निगम

(छ) कोई अन्य कृषि–उद्योग या कृषि–सेवा संगठन

(x) निदेशक प्रसार सदस्य सचिव होगा।

<u>प्रसार शिक्षा परिषद् का कार्य</u>

(1) प्रसार परिषद् निम्नलिखित के संबंध में विचार करके अपनी संस्तुतियां देगीः

(i) विश्वविद्यालय के प्रसार शिक्षा कार्यक्रम और परियोजनाएं।

(ii) कृषि, पशुपालन एवं संबद्ध शाखाओं के अध्यन के लिए और ग्राम समुदाय विकास के लिए प्रसार शिक्षा क्रियाकलापों का समन्वय।

(iii) कृषक शिक्षा एवं प्रशिक्षण का विकास और क्षेत्र समस्याओं का सलाहकार सेवा की पहचान एवं समाधान और सूचना का हस्तांतरण।

(iv) प्रसार शिक्षा की कार्यप्रणाली

(v) विश्वविद्यालय में शिक्षण एवं अनुसंधान के साथ प्रसार शिक्षा का एकीकरण और प्रसार शिक्षा कार्यक्रम में शिक्षकों एवं अनुसंधान कार्यकर्त्ताओं की हिस्सेदारी।

(vi) कुलपति, परिषद् या विश्वविद्यालय की किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इसे निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

(ड़) <u>संकाय तथा पाठ्य समिति</u>

(1) विश्वविद्यालय प्रारंभ में कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन प्रौद्योगिकी, गृहविज्ञान, वानिकी एवं पर्वतीय कृषि व्यवसाय प्रबंध और स्नातकोत्तर अध्ययन के संकाय तथा इस प्रकार के अन्य संकाय, जैसा कि समय–समय पर निर्धारित हो सकते है, होंगे।

(2) इन संकायों में ऐसे विभाग/प्रभाग/केन्द्र समाविष्ट होंगे, जैसा निर्धारित किया जाए। तथापि, विषय एवं कार्य की प्रकृति पर आधारित कोई विभाग /केन्द्र एक से अधिक संकायों की आवश्यकताओं का प्रबंध कर सकता है।

(3) प्रत्येक संकाय के कार्य निम्नलिखित होंगेः

(i) शिक्षण कार्यक्रम का पुनरावलोकन करना और उसके अध्यन पर सुझाव देना।

(ii) अपनी–अपनी पाठ्य समिति की संस्तुतियों पर विचार करना और विचार एवं अनुमोदन के लिए उसे विद्वत् परिषद् के सम्मुख रखना।

(iii) स्नातक डिग्री कार्यक्रमों, स्नातकोत्तर अध्ययनो एवं डाक्टर डिग्री कार्यक्रमों (विषय–वस्तु) के लिए संकाय (कृषि, पशुचिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन, प्रौद्योगिकी, मूल विज्ञान एवं मानविकी) उत्तरदायी होंगे।

(iv) विद्वत् परिषद् या कुलपति द्वारा इसे यथा निर्दिष्ट अन्य कार्यों को करना।

(4) प्रत्येक संकाय की पाठ्य समिति होगी, जिनका गठन यथा निर्धारित ढ़ग से होगा। संकाय का अधिष्ठाता अध्यक्ष होगा।

(5) पाठ्य समिति के निम्न लिखित कार्य होंगेः

(i) संकाय द्वारा प्रस्तुत शिक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के लिए संधित संकाय को पाठ्यक्रमों एवं पाठ्यचर्चाओं को प्रस्तावित करना।

(ii) संबंधित संकाय, प्राधिकारियों एवं कुलपति द्वारा यथा निर्दिष्ट अन्य कार्यों को करना।

(6) प्रत्येक संकाय का अधिष्ठाता होगा, जिसे यथा निर्दिष्ट ढंग से और नियत अवधि के लिए चुना जाएगा

(7) प्रत्येक विभाग का एक अध्यक्ष होगा जो विभाग की व्यवस्था एवं संचालन के लिए अधिष्ठाता के प्रति उत्तदायी होगा।

(8) विभागाध्यक्ष की नियुक्ति, कर्तव्य, अधिकार एवं कार्य यथानिर्दिष्ट होंगे।

UNIVERSITY WAS ESTABLISHED AS PER UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA ADHINIYAM, 1958 AMMENDED AS UTTAR PRADESH KRISHI EVAM PRODYOGIK VISHWAVIDYALAYA (SANSHODHAN) ADHYADESH, 1998

I. OBJECTIVES OF THE UNIVERSITY

(1) Making provision for imparting education in different branches of study particularly Agriculture, Horticulture, Veterinary Science and Animal Husbandry, Home Science, Rural industry and Agri-Business, Fisheries, Forestry, Technology and other allied branches of learning and scholarship.

(2) Furthering the advancement of learning and conducting of research, particularly in agriculture and other allied sciences.

(3) Undertaking the extension education of such sciences/technologies specially for the rural people of the State, and

(4) Such other purpose as the University may from time to time determine.

II. FUNCTIONS OF THE UNIVERSITY UNDER THE ACT

The University has the following functions:

(1) To provide for undergraduate and postgraduate instruction in agriculture as broadly defined and other allied branches of learning as the University may deem fit.

(2) To provide for conduct of research in agriculture and allied branches of learning.

(3) To provide for dissemination of the findings of research and technical information through extension education and service programme.

(4) To institute courses of study and hold examinations for and confer degrees, diplomas and other academic distinctions on persons who have pursued a prescribed course of study/ or research or both in the University or including part courses and/or research carried out in any other University or recognized institutions for the purpose.

(5) To confer honorary degrees and other distinction as may be prescribed.

(6) To provide training for field workers, village leaders and other persons not enrolled as regular students of the University.

(7) To collaborate with other Universities and institutions in such manner and for such purposes as the University may determine, subject to the limitations set forth in section 4 of this Act.

(8) To establish and maintain Colleges, Schools, Centres, Divisions, Departments/Institutions relating to Agriculture, Fisheries, Dairying, Veterinary Science, Animal Husbandry, Home Science, Technology, Agribusiness Management, Forestry and allied science.

(9) To establish and maintain laboratories, libraries, research stations and institutions and museums for teaching, research and extension education.

(10) To create teaching, research and extension education posts and to appoint persons to such posts.

(11) To create administrative and other posts and to appoint persons to such posts.

(12) To institute and award fellowships, scholarships, stipends and prizes in accordance with the Statutes.

(13) To institute and maintain residential accommodation for students and staff of the University.

(14) To fix, demand and receive such fees and other charges as may be prescribed.

(15) To supervise and control the residence, conduct and discipline of the students of the University, and to make arrangements for promoting their health and welfare.

(16) To do all such acts and things whether incidental to the powers aforesaid or not as may be required in order to further the objects of the University.

III. AUTHORITIES OF THE UNIVERSITY

The following shall be the authorities of the University

(i) Board of Management

(ii) Academic Council

(iii) Faculties including Post-graduate studies and their Board of Studies.

(iv) Research Council

(v) Extension Education Council

(vi) Finance Committee

(vii) Such other bodies of University as may be declared by the Statutes to be authorities of University.

A. Board of Management and its Constitution

(1) The Chancellor shall as soon as may be after the first Vice-chancellor is appointed constitute the Board of Management.

(2) The Board of Management shall constitute of the following: -

(i) The Vice-Chancellor

(ii) Secretary Agriculture Department, Government of Uttaranchal

(iii) Secretary Finance Department, Government of Uttaranchal

(iv) Secretary, Education Department, Government of Uttaranchal,

(v) Director of Agriculture, Uttaranchal

(vi) Director, Animal Husbandry, Uttaranchal

(vii) Director, Horticulture, Uttaranchal

(viii) Two members of the Legislative Assembly of the State to be elected by the said Assembly

(ix) Two eminent educationists/scientists one each from the field of Agriculture and Veterinary Science to be nominated by the State Government.

(x) One progressive farmer from the jurisdiction of the University to be nominated by the State Government.

(xi) One distinguished agro-industrialist to be nominated by the State Government.

(xii) One outstanding woman social worker having background of rural advancement to be nominated by the State Government.

(xiii) One representative from the Indian Council of Agricultural Research

(xiv) Comptroller

3. The Vice-Chancellor shall be the ex-officio Chairman and the Comptroller non-member secretary to the Board.

4. The term of the office of the members of the Board other than the ex-officio members shall be two years.

5. When a vacancy occurs in the office of any member by the reason of death, resignation or any cause other than the expiry of the term, the vacancy shall be filled in accordance with the provisions of this section and the person who fills such vacancy shall hold office for the residue of the term for which the person whose place he fills would have been a member.

6. No action or proceedings of the Board shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy or defect in the constitution of the Board.

7. One third of the members of the Board shall form quorum at a meeting of the Board.

   Provided that if a meeting of the Board is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting called for transaction of the same business.

8. The members of the Board other than the officers of the University shall not be entitled to any remuneration for the performance of their functions under this Act except such daily and traveling allowances as may be prescribed.

9. No officer or other employee of the University shall be eligible to be a member of the Board under clause (vii) to (xii) of sub-section (2) of this section.

10. The Board for the purpose of consultation may invite any person having experience or special knowledge on any subject under consideration to attend its meeting. Such person may speak or otherwise take part in the proceedings of such meeting but shall not be entitled to vote. Any person so invited shall be entitled to such allowances for attending the meeting as may be prescribed.

11. Normally the Board shall on dates to be fixed by the Vice-chancellor meet once every three months. However, Vice-Chancellor may whenever, he thinks fit and shall, upon the requisition in writing signed by not less than five members of the Board, convene a special meeting of the Board.

FUNCTIONS OF THE BOARD

(1) Subject to the provisions of this Act and the Statutes, the Board shall be the Chief executive Body of the University and shall manage and supervise the properties and activities of the University and shall be responsible for the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for in this Act.

(2) Without prejudice to the generality of the foregoing powers the Board shall exercise and perform the following powers and functions: -

(i) to consider and approve the financial requirements, estimates and the budget of the University,

(ii) to hold and control the property and the funds of the University and issue any general directive on behalf of the University,

(iii) to accept or transfer any property on behalf of the University,

(iv) to administer funds placed at the disposal of the University for the purpose intended,

(v) to arrange for the investment and withdrawal of the fund of the University,

(vi) to borrow money for capital investments with prior approval of the State Government and make suitable arrangements for its repayment,

(vii) to accept on behalf of the University trusts, bequests and donation,

(viii) to consider and approve the recommendations of the Academic, Research and Extension Education Councils where required,

(ix) to direct the form and use of the common seal of the University,

(x) to appoint such committees and bodies it may deem necessary and set down the terms of reference thereof in accordance with the provisions of this Act and the Statutes,

(xi) to consider and approve the establishment of a new Department, Division, Centre or Research Station/Sub-station or abolition of any one

thereof or otherwise reconstitution of Department/Divisions, Research Stations or Centres on the recommendation of the Academic Council,

(xii) to consider and approve establishment of a new college, faculty, amalgamation of two or more colleges or faculties into a single college or faculty or abolition of a college or faculty, reconstitution of any of the existing faculties on the recommendation of the Academic Council.

(xiii) to approve the recommendations for appointment of officers of the University and teachers, employees of the rank of Assistant Professor and above as per the recommendation of the Selection Committee for the purpose and in the prescribed manner.

3. Without prejudice to the generality of the powers of section 8 if the Chancellor is of the opinion that the Board of Management has failed to carry out its functions or has abused its powers, he may, after giving it an opportunity of submitting a written explanation, order suppression of the said Board of Management, and constitute an ad hoc Board of Management, consisting of the Vice-chancellor and such other persons not exceeding ten in number. The Chancellor may appoint in that behalf including any member of the superseded Board of Management, shall for such period not exceeding two years as the Chancellor may from time to time specify, exercise and perform all the powers and function of the Board of Management under this Act.

B. ACADEMIC COUNCIL

(1) The Academic Council shall consist of the following members namely: -

(i) The Vice-Chancellor {Chairman}

(ii) Deans of the various faculties

(iii) The Directors of Research and Extension Education

(iv) The Librarian

(v) The Dean Student Welfare

(vi) All Heads of the Department from each faculty

(vii) One Associate Director Research & Extension to be nominated by the Vice-Chancellor on rotational basis

(viii) All Associate Deans/Principals of the Colleges

(ix) One teacher from each faculty to be nominated by the Vice-Chancellor on rotational basis and in the prescribed manner.

(x) One eminent agriculture educationist from outside the University to be nominated by the Vice-Chancellor

(xi) Comptroller

(xii) Registrar {Member Secretary}

2. The Academic Council may co-opt as members not more than four persons for such period and in such manner as may be prescribed so as to secure adequate representation of different sectors of agriculture and allied fields.

3. All members of the Academic Council other than the ex-officio members and members refereed in subsection (20) shall hold office for a term of two years.

4. One third of the members of the Academic Council shall form quorum at a meeting of the council. Provided that if a meeting of the council is adjourned for want of quorum, no quorum shall be necessary at the next meeting for transaction of the same business.

5. Normally the Academic Council shall meet once in every four months on such dates as may be fixed by the Vice-Chancellor.

However, special meeting of the Academic Council can be called by the Vice-Chancellor or on request of one third of the members of the Council.

FUNCTIONS OF THE ACADEMIC COUNCIL

(1) The Academic Council shall subject to provisions of this Act and the Statutes have the power by regulations to prescribe all courses of study and determining curricula and shall have general control on teaching and other educational programmes within the University, and shall be responsible for the maintenance of standards thereof.

(2) It shall have power to make regulations consistent with this Act and the Statutes relating to all academic matters subject to its control and to amend or repeal such regulations.

(3) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, the Academic Council shall have power: -

(i) to advise the Board and Vice-Chancellor on all academic matters including the control and management of libraries,

(ii) to make recommendations for the institution of Professorships, Associate Professorships, Assistant Professorships and other teaching posts including posts in research and extension education and in regard to the duties thereof.

(iii) to make recommendations for the constitution/reconstitution of department/faculties of teaching, stations of research and extension education

(iv) to make regulations regarding the admission of students to the University, and determine the number of students to be admitted.

(v) to make regulations relating to the courses of study leading to degrees, diplomas and certificates.

(vi) to make regulations relating to the conduct of examinations and to maintain and improve standards of education.

(vii) to make recommendations to the Board regarding conferment of honorary degree.

(vii) to make recommendations regarding the qualifications to be prescribed for teachers in the University.

(ix) to exercise such other powers and perform such other functions as may be conferred or imposed on it under the provisions of this Act, by the Board or Vice-Chancellor.

C. RESEARCH COUNCIL

(1) There shall be Research Council consisting of the following members namely: -

(i) The Vice-Chancellor (Chairman),

(ii) The Director of Agriculture/Horticulture/Animal Husbandry/Fisheries and Chief Conservator of Forests (depending upon research mandate and programme of the University)

(iii) All Deans of the Faculties

(iv) All Directors of the University

(v) All Associate Deans/Principals of the colleges

(vi) All Associate Directors Research & Extension

(vii) All Heads of Departments centres and Stations

(viii) Two scientists of eminence from outside to be nominated for particular meeting by the Vice-Chancellor for their specialized knowledge of subjects on the agenda of meeting.

(ix) Research Council may co-opt as members not more than four persons for such period and in such manner as may be prescribed so as to secure adequate representation of different sectors of agriculture and allied fields.

2. The Director Research shall be the Member Secretary.

FUNCTION OF RESEARCH COUNCIL

(1) The Research Council shall consider and make recommendations in respect of: -

(i) Research programmes and projects undertaken or to be undertaken by the various University units in the State in the field of Agriculture, Veterinary Science and Animal Husbandry and other allied Sciences with a view to promoting effective co-ordination.

(ii) Physical, fiscal and administrative facilities required for implementation of research projects.

(iii) Orienting research to meet farmers' needs.

(iv) Integration to research extension education and teaching and participation of research workers in teaching and extension education programme.

(v) Any other matter pertaining to research programmes which may be referred to by the Vice-Chancellor or the Board or any other authority of the University.

D. EXTENSION EDUCATIONAL COUNCIL

(1) There shall be an Extension Education Council consisting of the following members: -

(i) Vice-Chancellor (Chairman)

(ii) Secretary, Agriculture

(iii) Directors of Agriculture/Horticulture/Animal Husbandry/Fisheries and Chief Conservator of Forests (depending upon extension mandate and programmes of the University}

(iv) All Deans of the Faculties,

(v) All Directors of the University

(vi) All Heads of the Departments/Regional Research Station/College/ Centre.

(vii) Two eminent persons in the field of Extension Education from outside nominated by the Vice-chancellor for any particular meeting in accordance with the requirement of the agenda.

(viii) Three progressive farmers having specialization in general Agriculture, Horticulture, Animal Husbandry and other allied branches to be nominated by the Vice-Chancellor for their specialized knowledge and experience.

(ix) One representative each of the following organization as per advice of the Vice-Chancellor:

(a) Rural Development Department

(b) Co-operative Department

(c) Uttaranchal State Agro-Industries Development Corporation

(d) Irrigation Department

(e) Fertilizer Corporation of India

(f) Seeds Corporation

(g) Any other agro-Industries or agro-Service Organization

(x) The Director Extension shall be the Member Secretary

FUNCTION OF THE EXTENSION EDUCATION COUNCIL

(1) The Extension Council shall consider and make recommendations in respect of: -

(i) The Extension Education Programmes and Projects of the University.

(ii) Co-ordination of Extension Education activities for improvement of Agriculture, Animal Husbandry and allied branches and for the development of Rural Communities.

(iii) Development of Farmers' Education and Training and Advisory service identification and resolution of field problems and transfer of information.

(iv) Methology of Extension Education

(v) Integration of Extension Education with teaching and research in the University and participation of teachers and research workers in Extension Education Programmes.

(vi) Any other matter referred to it by the Vice-Chancellor, Board or any other authority of the University.

E. FACULTIES AND THEIR BOARD OF STUDIES

(1) The University shall have initially the faculties of Agriculture, Veterinary Sciences & Animal Husbandry, Technology, Home Science, Forestry & Hill Agriculture, Fisheries Science, Basic Science and Humanities, Agribusiness Management and Post Graduate Studies and such other faculties as may be prescribed from time to time.

(2) These faculties shall comprise such Departments/Divisions/Centers as may be prescribed. However, depending on the nature of subject and function, one Department/Centre may cater to the needs of more than one faculty.

(3) The functions of each faculty shall be as follows: -

(i) To review the teaching programme and suggest improvement thereof.

(ii) To consider the recommendations of the respective Board of Studies and to place the same before the Academic Council for consideration and approval.

(iii) Subject matter faculties {Agriculture, Veterinary Science & Animal Husbandry, Technology, Home Science, Fisheries, Forestry & Hill Agriculture and Basic Sciences and Humanities} shall be responsible for Bachelor' degree programmes, Post-graduate studies and Doctoral degree programmes.

(iv) To perform such other functions as may be assigned to it by the Academic Council or Vice-Chancellor.

(4) There shall be a Board of Studies of each Faculty, the constitution of which shall be as prescribed. Dean, Faculty shall be the Chairman.

(5) The Board of Studies shall have the following functions: -

(i) To propose to the faculty concerned the courses of study and curricula for various programmes of instruction offered by the faculty.

(ii) To perform such other functions as directed by the concerned Faculty, other authorities and Vice-Chancellor.

(6) There shall be Dean of each Faculty who shall be chosen in such manner and for such period as may be prescribed.

(7) There shall be a Head in each Department who shall be responsible to the Dean for the organization and operation of the Department.

(8) The appointment, duties, powers and functions of Head of the Department shall be as prescribed.